



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

फाइल क्रमांक - 9-47/2020- अ.प्रा.(अंश-2)/ 13

27.04.2022

संशोधित अधिसूचना क्रमांक अ. और प्रा. - 03/2022-23

विषय : राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन

सक्षम प्राधिकारी द्वारा गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय की "राजभाषा कार्यान्वयन समिति" का पुनर्गठन किया गया, जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं :-

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. प्रो. (डॉ.) रमाशंकर दूबे, कुलपति | - | अध्यक्ष |
| 2. प्रो. संजीव कुमार दूबे, अधिष्ठाता, भाषा, साहित्य और संस्कृति अध्ययन के स्कूल | - | सदस्य |
| 3. डॉ. विपुल आर. सोलंकी सहायक प्राध्यापक | - | सदस्य |
| 4. डॉ. प्रमोद कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक | - | सदस्य |
| 5. डॉ. श्रीश कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक | - | सदस्य |
| 6. डॉ. पौलोमि साहू, सहायक प्राध्यापक | - | सदस्य |
| 7. डॉ. हेमांग देसाई, उप कुलसचिव (अकादमिक) | - | सदस्य सचिव |

यह समिति राजभाषा को बढ़ावा देने का कार्य करेगी।

इस अधिसूचना को सक्षम प्राधिकारी के आदेश से जारी किया जा रहा है।

कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रतिलिपि: (ईमेल द्वारा)

1. सभी संबंधित सदस्य
2. सभी संस्थानों के अधिष्ठाता
3. कुलपति सचिवालय
4. आईसीटी अध्यक्ष - इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
5. अधिसूचना फाइल
6. गार्ड फाइल

सेक्टर-29, गांधीनगर-382030, फोन नं - 07923977407, फेक्स-07923260076

Sector-29, Gandhinagar, Phone No. 07923977407, Fax-07923260076

Email: registrar@cug.ac.in, website: www.cug.ac.in